

कोशल्या देवी विहित प्राधिकारी (जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार), महवा जिला दोसा
 संख्या राजस्व/मू.रूपा/2011/ तारीख - 6-11-13

पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश

कोशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर जरिये उपाध्यक्ष माया देवी पति श्री महेन्द्रदास जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावर तहसील महवा जिला दोसा (राज.) के आवेदन पर पढले से अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित कृषि भूमि का राजस्व मू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र) में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 1992 के नियम 9(3) के अधीन इसके द्वारा पुनरीक्षित अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित किया जाता है जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार है :-

- 1 आवेदक का नाम पिता/पति के नाम सहित तथा पड़ोस पता कोशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर जरिये उपाध्यक्ष माया देवी पति श्री महेन्द्रदास जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावर तहसील महवा जिला दोसा (राज.)
- 2 क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का सदस्य है :- नहीं --
- 3 आदेश की सं 0 तथा तारीख उपदर्शित करते हुए मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन : राजस्व/मू.रूपा / 13 / 519-522
 या - आवासीय -
 आदेश की तारीख और सं 0 उपदर्शित करते हुए प्रयोजन विस्तार किये भूमि आवंटित की गई थी :
 संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन :- संस्थानिक (शिक्षण)
- 4 संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा :-
 (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम :- ग्राम दहलडी/ऊकरुद/ महवा
 (ख) भूमि का खसरा सं 0 और प्रत्येक खसरे सं 0 का क्षेत्रफल हेक्टर में 345/1/2/1 रकबा 0.25
 (ग) प्रत्येक खसरा सं 0 का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर
 विषय - अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे को सुलभता भाग की सम्यक् रूप से संस्थापित प्रति सलभ करें।
- 6 मूल संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर :- 5.94/- प्रति वर्गमीटर
- 7 मूल आवेदन के साथ जमा कठवी गई प्रीमियम की रकम, चलान की सं 0 तथा तारीख सहित :- 440 Dt. 11-03-13 प्रीमियम-14850/-
- 8 पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर :- 10.02/- प्रति वर्गमीटर
- 9 चलान की सं 0 तथा तारीख सहित प्रीमियम के अन्तर्गत जमा कठवी गई रकम:- 159 Dt. 1-11-15 प्रीमियम-10200/-
- 10 चलान की सं 0 तथा तारीख सहित शर्तें, यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम :- - नहीं -
- 11 चलान की सं 0 तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम :- - नहीं -
- 12 अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो :-
- 13 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों को अव्यर्था होगा :-
 (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
 (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपूहृत हो जायेगा।
 (3) नियम-4 में यथावर्णित भूमि का उपभोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
 (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 नोट - S H एच M.D.R. रोड सं 0 विभागीय शीमा 35 मीटर छोड़कर एवं NH-11 के गत्य से 40 मीटर छोड़कर संपरिवर्तन किया गया है व इन्डियन रोड कांयैस के नियमानुसार रोड के गत्य से 40 मीटर छोड़कर पुराना निर्माण किया जायेगा।

विहित प्राधिकारी की मुहर

उपखण्ड अधिकारी
 विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
 महवा (दोसा)
 (जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार)

सं 0 राजस्व/मू.रूपा./2013/
 प्रतिलिपि :-

762-66

तारीख :- 6-11-13

1. श्रीमान जिला कलेक्टर दोसा
2. तहसीलदार, महवा
3. ग्राम पंचायत ऊकरुद/पटवारी हल्का ऊकरुद
4. आवेदक कोशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर जरिये उपाध्यक्ष माया देवी पति श्री महेन्द्रदास जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावर तहसील महवा जिला दोसा (राज.)
5. आदेश पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
 विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
 (जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार)

कोशल्या देवी महाविद्यालय (12B)
 मण्डावर तह महवा जिला दोसा राज.
 आकाश महाविद्यालय
 मण्डावर (दोसा) राज.
 कॉलेज कांड - 123

कोशल्या देवी शिक्षा समिति
 मण्डावर (दोसा)

प्रपत्र "ख"
कारिगरी नियम 8(2)/(3)

कार्यालय विहित प्राधिकारी तहसीलदार, महवा जिला दोसा

तारीख - 11/03/2013

संपरिवर्तन-आदेश

श्री भोलाराम पुत्र श्री नारायण बैरवा जाति बैरवा निवासी टीकरी किलानोत तहसील महवा जिला दोसा (राज.) के अधीन
हस्ताक्षर स्वतंत्र अमिषति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र) में कृषि भूमि का अकृषि के प्रयोजन के लिए
संपरिवर्तन नियम 2007 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित किया जाता है जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार हैं

आवेदक स्वतंत्र अधिकारी का नाम पिता/पति के नाम सहित भोलाराम पुत्र श्री नारायण बैरवा जाति बैरवा निवासी
पूरा पता टीकरी किलानोत तहसील महवा जिला दोसा (राज.)

क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का सदस्य है : - एस.सी. -

संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :-
ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम :- ग्राम टहलडी/ऊकरुंद/ महवा

भूमि का खसरा सं० और प्रत्येक खसरा सं० का क्षेत्रफल (हैक्टर में) 344/2 खसरा 0.25 में से
कुल 2150 वर्गमीटर

प्रत्येक खसरा सं० का क्षेत्रफल उपरि उल्लेख करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल
अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक् रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।

संपरिवर्तन का प्रयोजन : आवासीय प्रयोजन
संदेय प्रिमियम की दर :- 5.94 प्रति वर्गमीटर

चालान को सं० तथा तारीख सहित प्रिमियम के अन्तर की जमा करायी गई रकम -
चालान नं० 439 Dt. 11-03-2013 Head 0(29) प्रिमियम-12478

चालान की सं० तथा तारीख सहित शांति, यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम :- - नहीं -
चालान की सं० तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम :- - नहीं -

क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया है : -
अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो :- 1. राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क यदि निर्धारित किया जावेगा अथवा संपरिवर्तन की गन्तव्य के
कोई अन्तर राशि होगी तो प्राप्ति जमा करवाने को संदेव बाध्य रहेगा।
2. राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर जो दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं उनकी पालन की व्यवस्था

चालान S.H. रोड की निर्धारित सीमा 40 मीटर छोड़कर एवं NH-11 के मध्य से 40 मीटर, एस.डी.आर रोड से 25 मी. ग्रामीण सड़क/ रास्ता से 12.5 मीटर
हस्ताक्षर संपरिवर्तन किया गया है व इंडियन रोड कॉन्ग्रेस के नियमानुसार रोड के मध्य से निर्धारित सीमा छोड़कर पुल्ला निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-
(1) उपरोक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी
अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि
का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत फरती जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमियम व
संग्रहित हो जायेगा।

(3) नियम-4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(4) लोकप्रयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी
से विधिवत अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(तहसीलदार)

तारीख :-

विहित प्राधिकारी की मुहर

सं० राजस्व/भू.सू.पा./2013/ 524 -

1. महवा जिला कलेक्टर

2. ग्राम पंचायत, महवा

श्री किलानोत तहसील महवा जिला दोसा (राज.)

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

आकाश महाविद्यालय
मण्डावर (दोसा) राज.
कॉलेज कलेक्टर 123

प्रपत्र 'घ'

[See rule-10(4)]

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

तारीख - 15-04-2019

पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश

श्रीमती कौशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर जरिये उपाध्यक्ष माया देवी पत्नी श्री महेन्द्र दत्त ब्राहमण, मण्डावर जाति निवासी मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.) के आवेदन पर पहले से अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश जारी किये जाते हैं जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार है:-

आवेदक/स्वातेदारी अधिकारी का नाम पिता/पति के नाम सहित श्रीमती कौशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर जरिये उपाध्यक्ष माया देवी पत्नी श्री महेन्द्र दत्त ब्राहमण, मण्डावर जाति ब्राहमण निवासी मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.)

आवेदन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है- नहीं
आवेदन की संख्या तथा तारीख उपदर्शित करते हुए मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन :-आरए/भू.रूपा/2013/509-512 दिनांक 11.03.201, आरए/भू.रूपा/2013/524-527 दिनांक 11.03.2013, आरए/भू.रूपा/2013/514-517 दिनांक 11.03.2013

-आवासीय

या

आवेदन की तारीख और संख्या उपदर्शित करते हुए प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवंटित की गई थी:- संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन:-

संस्थानिक (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)

संपरिवर्तन भूमि का व्यौरा :-

ग्राम/ग्राम पंचायत /तहसील का नाम:-

ग्राम टहलडी/ऊकरुंद/मण्डावर

संपरिवर्तन भूमि का खसरा सं० और प्रत्येक खसरा सं० का क्षेत्रफल (हेक्टर में):-

344/1 रकबा 0.2150 हे०, 344/2 रकबा 0.2150 हे०,

345/1 रकबा 0.25 हे० कुल किता 3 रकबा 0.68 हे०

प्रत्येक खसरा सं० का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल:- 2150, 2150, 2500

कुल क्षेत्रफल 6800 वर्गमीटर

अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।

मूल संपरिवर्तन पर संदेय प्रिमियम की दर पर:-

5.94/प्रति वर्ग मीटर

मूल आवेदन के साथ जमा कराई गई प्रिमियम की रकम, चालान की सं० तथा तारीख सहित :-

40392 ₹०

चालान नं०439 दिनांक 11.03.2013 HEAD 0029 राशि 12771 रूपये

चालान नं०438 दिनांक 11.03.2013 HEAD 0029 राशि 14850 रूपये

चालान नं०441 दिनांक 11.03.2013 HEAD 0029 राशि 12771 रूपये

12.61/-प्रति वर्ग मीटर

पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय प्रिमियम की दर:-

चालान की संख्या तथा तारीख सहित प्रिमियम के अन्तर की जमा कराई गई रकम :-

चालान नं० GRN29819092 दिनांक 11.04.2019 HEAD 0029 राशि 45356 रूपये

चालान की संख्या तारीख सहित शारित, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम:-

-नहीं-

चालान की संख्या तारीख सहित व्याज, यदि कोई हो, कि जमा कराई गई:-

-नहीं-

अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो:-

(1)राज्य सरकार द्वारा यदि कोई शुल्क निर्धारित किया जावेगा अथवा संपरिवर्तन की गणना में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने को सदैव बाध्य रहेगा।

(2)राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये है उनकी पालना की जावेगी।

नोट - SH एवं M.D.R रोड की निर्धारित सीमा 40 मीटर छोड़कर एवं NH21 (पूर्व में NH 11) के मध्य से 40 मीटर एवं ग्रामीण सड़क/रास्ता के मध्य से 12.5 मीटर छोड़कर संपरिवर्तन किया गया है एवं इंडियन रोड कांफ्रेंस के नियमानुसार/मापदण्ड अनुसार रोड के मध्य से दूरी छोड़कर पुख्ता निर्माण किया जावेगा।

(3)उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगा:-

(1)उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(2)यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमियम धन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियम-4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(4) संलग्न ले-आउट संपरिवर्तन आदेश का अभिन्न अंग रहेगा तथा भूमि का उपयोग तदनुसार ही किया जावेगा।

-sd-

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, महवा
महवा (विहित प्राधिकारी की मुहर)

तारीख- 15-04-2019

कमाक/राजस्व/भू.रूपा/2019/661-665
प्रतिलिपि-

1.श्रीमान जिला कलेक्टर दौसा।

2.तहसीलदार,मण्डावर।

3.ग्राम पंचायत ऊकरुंद।

4.पंचायती हल्का ऊकरुंद को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रेषित है।

5.आवेदक श्रीमती कौशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर जरिये उपाध्यक्ष माया देवी पत्नी श्री महेन्द्र दत्त ब्राहमण, मण्डावर जाति ब्राहमण निवासी मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.)

6.कार्यालय आदेश।

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, महवा
महवा (विहित प्राधिकारी की मुहर)

3-12
आकाश महाविद्यालय
मण्डावर (दौसा) राज.
कॉलेज कोड - 123

कौशल्य विहित प्राधिकारी (जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार), महवा जिला दौसा

संख्या राजस्व/भू.रूपा./2011/

तारीख - 6/11/13

पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश

कौशल्य देवी शिक्षा समिति मण्डावर जरिये उपाध्यक्ष माया देवी पालि श्री महेन्द्रदत्त जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा (राज.) के आवेदन पर पहिले से अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र) में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 1992 के नियम 9(3) के अधीन इसके द्वारा पुनरीक्षित अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित किया जाता है जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार है :-

1. आवेदक का नाम पिता/पति के नाम सहित तथा पता: कौशल्य देवी शिक्षा समिति मण्डावर जरिये उपाध्यक्ष माया देवी पालि श्री महेन्द्रदत्त जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा (राज.)
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का सदस्य है : - नहीं --
3. आदेश की सं० तथा तारीख उपदर्शित कलते हुए मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन : राजस्व/भू.रूपा./13/519-522
- आवासीय -
या
आदेश की तारीख और सं० उपदर्शित करते हुए प्रयोजन लिपिके लिये भूमि आवंटित की गई थी :
4. संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन :-
5. संपरिवर्तित भूमि का खेता :-
(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम :- ग्राम टहलडी/ऊकलंद/ महवा
(ख) भूमि का खतरा सं० और प्रत्येक खेता सं० का क्षेत्रफल हेक्टर में 345/11/2/1 रकबा 0.25
(ग) प्रत्येक खसरा सं० का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर
विशेषणी -- अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुलभता भाग की सम्यक् रूप से अन्वयित प्रति संलग्न करें।
6. मूल संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर :- 5.94/- प्रति वर्गमीटर
7. मूल आवेदन के साथ जमा किये गई प्रीमियम की रकम, चालान की सं० तथा तारीख सहित :-440 Dt. 11-03-13 प्रीमियम-14850/-
8. पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर :- 10.02/- प्रति वर्गमीटर
9. चालान की सं० तथा तारीख सहित डिप्लोमा के अन्तर्गत की जमा करायी गई रकम:-153 Dt. 1-11-13 प्रीमियम-10200/-
10. चालान की सं० तथा तारीख सहित शाहिल, यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम :- - नहीं -
11. चालान की सं० तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम :- - नहीं -
12. अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो :-
13. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-
(1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो रजिस्ट्रार प्रत्यक्ष करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समग्रतः हो जायेगा।
(3) नियम-4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
(4) लोकप्रयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिगान्य अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
नोट - S.H एवं M.D.R. रोड की विशेषता जमीन 35 मीटर चौड़ाई एवं 114-11 के मध्य से 40 मीटर चौड़ाई संपरिवर्तित किया गया है व अकृषिक रोड काठेस के नियमानुसार रोड के मध्य से 40 मीटर चौड़ाई पुनः निर्माण किया जायेगा।

विहित प्राधिकारी की मुहर

सं० राजस्व/भू.रूपा./2013/

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर दौसा
2. तहसीलदार महवा
3. ग्राम पंचायत, ऊकलंद/ पटवारी हल्का ऊकलंद
4. आवेदक कौशल्य देवी शिक्षा समिति मण्डावर जरिये उपाध्यक्ष माया देवी पालि श्री महेन्द्रदत्त जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा (राज.)
5. आदेश पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार)

तारीख :- 6-11-13

762-66

काश या देवी महाविद्यालय (123)
मण्डावर तह महवा जिला दौसा राज

प्राचार्य
आकाश महाविद्यालय
मण्डावर (दौसा) राज.
कॉलेज रोड - 123

कौशल्य देवी शिक्षा समिति
मण्डावर (दौसा) राज